आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या– 02/2017–18

लखन ठाकुर वगै0

–बनाम–

संध्या देवी

22.08.2023

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 01/2014–15 (अन्नपूर्णा देवी –बनाम– अंचल अधिकारी, राजमहल वगै0) मैं दिनांक– 18.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्व संशोधन वाद (Rivision) वाद दाखिल किया गया है।

अवलोकनोपरांत वाद को अंगीकृत की गई। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से इस न्यायालय के ज्ञापांक– 132/डी0बी, दिनांक– 24.12.2018 द्वारा मूल अभिलेख नामांतरण अपील वाद सं0– 01/2014–15 की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी उपस्थित। न्यायालय ज्ञापांक– 132/डी0बी0, दिनांक– 24.12.2018 के अनुपालन में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पत्रांक– 39/भू0सु0, दिनांक– 03.08.2020 से मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदिका की मृत्यु होने के कारण मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को स्वीकृत करते हुए अन्नपूर्णा देवी के वारिशानों को पक्षकार बनाया गया। पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई।

आवेदकगण (Rivinist) (Rivisionist) के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा– मालकसवा जमाबंदी नं0– 75/6, दाग नं0– 411, 412 एवं 421 में कुल रकवा 08 बीघा 19 कठ्ठा 02 धूर जमीन पंजी– II में (1) सीताराम नापित, पे0– विशेशर नापित एवं (2) हरिहर नापित, पे0– विपीन बिहारी नापित के नाम से दर्ज है। वर्ष 1947 में दोनो सीताराम नापित एवं हरिहर नापित में आपसी बटवारा के आधार पर दखल कब्जा में थे।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि सीताराम नापित अपने हिस्से में प्राप्त भूमि रकवा 04 बीघा 09 कठ्ठा 11 धूर निबंधित केवाला के माध्यम से केवाला सं0– 1444/1947 दिनांक– 25.09.1947 मे महावीर हजारी के पास बिक्री कर दिये, महावीर हजारी ने अपने नाम से नामांतरण नहीं करवा सके। उक्त जमाबंदी के रैयत हरिहर नापित को 1947 के पूर्व पारिवारिक बंटन के आधार पर 04 बीघा 09 कठ्ठा 11 धूर भूमि प्राप्त हुए।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सीताराम नापित, पिता– विशेश्वर नापित 2. हरिहर नापित, पिता– बिपीन बिहारी नापित के वंशवृक्ष के आधार पर वंशावली पर जोर देते हुए कहा कि वंशावली इस प्रकार दर्शाया गया है:–

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

<u>वंशावली</u>

- विशेश्वर नापित, मृत
  - सीताराम नापित, मृत R.T.
    - विशम्भर नापित, नावल्द, मृत
    - लड्डू नापित, पत्नि– पानवती देवी
      - प्रहलाद कु0 प्रमाणिक
      - सुबोध नापित

- विपीन बिहारी नापित मृत
  - मुरलीधर प्रमाणिक, मृत,
  - हरिहर प्रमाणिक उर्फ नापित, मृत R.T.
    - पहली पत्नि लीला दासी
      - अन्नपूर्णा देवी, पति– लखन ठाकुर
        - पुष्पा देवी
        - अरूणा देवी
        - युधिष्ठिर ठाकुर
        - लोकनाथ ठाकुर
        - निर्भय ठाकुर
        - उत्तम कु0 ठाकुर
      - शांति देवी, पति– रमणी मोहन ठाकुर
    - दूसरी पत्नि बिन्दा देवी
      - संध्या देवी, पुत्री

आगे उन्होने यह भी अपने तर्क में कहा कि जमाबंदी रैयत हरिहर नापित ने अपने जीवन काल में दो शादियाँ की पहली पत्नि लीला दासी एवं दूसरी पत्नि बिन्दा देवी। लीला दासी से दो पुत्री 1. अन्नपूर्णा देवी एवं शांति देवी और बिन्दा देवी से एक पुत्री संध्या देवी जो इस वाद में विपक्षी है। हरिहर नापित ने अपनी दूसरी पत्नि को निबंधित जीवन शर्तनामा सं0– 2998/65, दिनांक– 09.08.1965 निष्पादित किया, जिसमें लिख कि तुम मेरी दुसरी पत्नि हो तुम्हारी कोई संतान नहीं है। इस जमीन को तुम अपने जीवन काल तक उपभोग करेगी। इस जमीन को दान विक्रय हस्तान्तरण नहीं कर सकती हो। यदि करोगी तो कानूनन नाजायज होगी, तुम्हारे मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि मेरा या मेरे वारिसान की होगी। उक्त शर्त नामा में जमाबंदी सं0– 75/6 की प्रश्नगत भूमि शामिल नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट करता है कि 1965 मे विन्दा देवी को कोई संतान पैदा नहीं हुआ था।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि जमाबंदी रैयत 2 हरिहर नापित की मृत्यु 1966 में हो गई, इसके बाद सारी सम्पत्ति हरिहर नापित की पहली पत्नि लीला दासी का उत्तराधिकारी के दखल कब्जा में आ गया। लीला दासी के दोनो पुत्री द्वारा अपने में हिस्सा कर लिया।

आगे उन्होने यह भी कहा कि वर्त्तमान आवेदक लखन ठाकुर की पत्नि अन्नपूर्णा देवी एवं अन्नपूर्णा देवी की सहोदर बहन शांति देवी दोनो मिलकर अपनी माँ लीला दासी से प्राप्त शेष बचे हुए भूमि रकवा 02 बीघा 09 कठ्ठा का नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा नामांतरण वाद सं0– 1147/12–13 दर्ज कर सुनवाई की गई। आपत्तिकर्त्ता संध्या देवी, पिता– हरिहर नापित के द्वारा आपत्ति दाखिल की गई। जिसके फलस्वरूप अंचल

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

अधिकारी, राजमहल द्वारा आवेदिकागण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिये गये। उक्त नामांतरण वाद के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में नामांतरण अपील सुनवाई उपरांत आवेदिका के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है, जो कानूनन गलत है, जिसे खंडित किया जाना चाहिए।

उनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 01/2014–15, दिनांक– 18.06.2016 के अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा मालकसवा थाना नं0– 86, जमाबंदी सं0– 75/06, दाग नं0– 412, रकवा– 02–17–10 धूर के अन्दर 01 बीघा 19 कठ्ठा 13 धूर के नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को आवेदिका (मृत) अन्नपूर्णा देवी, पति– श्री लखन ठाकुर 2. शांति देवी, पति– रमनी मोहन ठाकुर के द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा नामांतरण वाद सं0– 1147/12–13 प्रारंभ कर 16 आना रैयतो को नोटिस निर्गत की गई। सुनवाई के क्रम में आपत्तिकर्त्ता संध्या देवी, पति– ललित ठाकुर द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। विज्ञ अंचल अधिकारी, राजमहल ने दिनांक– 27.12.2014 को आपत्तिकर्त्ता के कागजातों के अवलोकनोपरांत आवेदिका के आवेदन को खारीज कर दिया गया। आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, राजमहल के आदेश से असंतुष्ट होकर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0– 01/2014–15 में दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल ने सुनवाई उपरांत दिनांक– 18.08.2016 को अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज कर दिये और संध्या देवी के नाम से खाजाना रसीद कटना शुरू हो गया।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि जमाबंदी नं0– 75/6, दाग नं0– 412, कुल रकवा– 02 बीघा 17 कठ्ठा 10 धूर, जमाबंदी सं0– 59, दाग नं0– 465, रकवा– 06 बीघा 16 कठ्ठा 02 धूर, दाग नं0– 411, रकवा– 01–15–16 धूर एवं उसी मौजा जमाबंदी नं0– 75/06, दाग नं0– 421 रकवा 00–10–05 धूर भूमि है। उक्त भूमि कर जमाबंदी रैयत सीता राम नापित, पिता– स्व0 विशेश्वर नापित एवं हरिहर नापित, पिता– विपीन बिहारी थे। हरिहर नापित के पहली पत्नि लीला दासी से दो पुत्री 1. अन्नपूर्णा देवी एवं 2. शांति देवी दूसरी पत्नि विन्दा देवी से एक पुत्री संध्या देवी हुई। सभी पक्षों के बीच निबंधित बंटननामा केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.1986 को निष्पादित हुआ है।

प्रथम पक्षः– अन्नपूर्णा देवी मौजा– मालकसवा जमाबंदी नं0– 75/06, दाग नं0– 412 कुल रकवा 02 बीघा 17 कठ्ठा 10 धूर के अंदर 00–13–4½ धूर जमीन सह 6 आम पेड़ दाग नं0– 462, रकवा– 19 कठ्ठा 07 धूर में से 13 कठ्ठा 15½ धूर जमीन तथा दाग नं0– 171 में रकवा 10 धूर कुल रकवा 01 बीघा 07 कठ्ठा 10 धूर जमीन प्राप्त हुआ। मौजा– मिरजईबजार दाग नं0– 77 कुल रकवा– 00–19–07 धुर अन्दर 00–02–10½ धूर दाग नं0– 78 कुल रकवा 00–02–10½ धूर और दाग नं0– 78 कुल रकवा 00–11–10 धूर के अन्दर 06 कठ्ठा 15 धूर जमीन प्राप्त की, इसके

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

अलावे मौजा– रसुलपुर, दाग नं0– 24, रकवा– 09 कठ्ठा 11 धूर के अंदर 04 कठ्ठा 07 धूर जमीन प्राप्त की। कुल जमीन 02 बीघा 01 कठ्ठा 2/3 धूर प्राप्त की।

<u>द्वितीय पक्षः– शांति देवी</u> उक्त बंटन केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.1986 के आधार पर मौजा– मालकसवा, जमाबंदी नं0– 75/6, दाग नं0– 412, रकवा– 04 कठ्ठा 12½ धूर, दाग नं0– 411 में 08 कठ्ठा 11½ धूर कुल रकवा 13 कठ्ठा 04 धूर भूमि के साथ 5 आम का पेड़ हिस्सा में प्राप्त हुआ। मौजा– मालकसवा के दाग नं0– 171, रकवा 03 कठ्ठा के अंश रकवा 10 धूर भूमि प्राप्त की। दाग नं0– 465, रकवा– 08 कठ्ठा 4½ धूर और 462 का कुल रकवा 19 कठ्ठा 07 धूर के अंश रकवा 5 कठ्ठा 11½ धूर जमीन प्राप्त की। मौजा– मालकसवा में कुल रकवा 01 बीघा 07 कठ्ठा 10½ धूर भूमि प्राप्त हुई। मौजा– मिरचईबजार, दाग नं0– 78 में 04 कठ्ठा 15 धूर एवं दाग नं0– 82 में 04 कठ्ठा 10 धूर कुल रकवा 09 कठ्ठा 05 धूर मौजा– ररसुलपुर दाग नं0– 24 में रकवा 17 धूर एवं दाग नं0– 25 में 03 कठ्ठा 10 धूर कुल रकवा 04 कठ्ठा 17 धूर अर्थात् सभी दागो को मिलाकर 02 बीघा 01 कठ्ठा 02 धूर जमीन प्राप्त की।

<u>तृतीय पक्षः– संध्या देवी</u> पिता– स्व0 हरिहर नापित को बंटन केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.1986 के द्वारा मौजा– मालकसवा जमाबंदी नं0– 75/6, दाग नं0– 411 में कुल रकवा– 01 बीघा 01 कठ्ठा 16 धूर के अंश रकवा 13 कठ्ठा 4½ धूर के साथ 5 आम का पेड प्राप्त की। दाग नं0– 465, का कुल रकवा 06 बीघा 16 कठ्ठा 02 धूर के अंदर 13 कठ्ठा 5½ धूर दाग नं0– 171 में 10 धूर जमीन प्राप्त की। इसके अलावे मौजा– मिरचईबजार, दाग नं0– 79 में रकवा– 07 कठ्ठा 05 धूर, दाग नं0– 82 में 02 कठ्ठा एवं मौजा– रसुलपुर के दाग नं0– 24 में रकवा 04 कठ्ठा 07 धूर भूमि प्राप्त की। कुल मिलाकर 02 बीघा 01 कठ्ठा 02 धूर भूमि तृतीय पक्ष के हिस्से में प्राप्त हुई।

<u>चतुर्थ पक्षः– विशम्भर प्रमाणिक और लडडू प्रमाणिक</u> को बंटन केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.1986 के द्वारा मौजा– मालकसवा, जमाबंदी नं0– 75/06, दाग नं0– 412 में रकवा– 04 कठ्ठा 12½ दाग नं0– 411 में रकवा 08 कठ्ठा 11½ धूर कुल रकवा 13 कठ्ठा 04 धूर एवं 05 आम का पेड प्राप्त हुआ। मौजा– मालकसवा दाग नं0– 171, रकवा– 03 कठ्ठा में से 10 धूर दाग नं0– 465 मे 08 कठ्ठा 4½ धूर जमीन प्राप्त किये। दाग नं0– 462 कुल रकवा 19 कठ्ठा 07 धूर के अंदर 05 कठ्ठा 11½ धूर जमीन प्राप्त की। कुल रकवा 01 बीघा 07 कठ्ठा 10½ धूर मौजा मालकसवा में प्राप्त किये। मौजा– मिरचईबजार, दाग नं0– 78 में 04 कठ्ठा 15 धूर एवं दाग नं0– 82 में 04 कठ्ठा 10 धूर कुल रकवा– 09 कठ्ठा 05 धूर जमीन प्राप्त किये। मौजा– रसुलपुर के दाग नं0– 24 में 17 धूर एवं दाग नं0– 25 में 03 कठ्ठा 10 धूर एवं सभी दागो को मिलाकर 02 बीघा 01 कठ्ठा 02 धूर जमीन प्राप्त किये।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदिका (Rivinist) के आवेदन को खारिज करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0–01/

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 5	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2014–15 में दिनांक– 18.06.2016 को पारित आदेश को यथावत (Up-held) रखने हेतु अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि 1. आवेदिका आवेदिका (मृत) एवं विपक्षी दोनो हरिहर नापित के पुत्री है। यानी एक ही वंश का है। 2. नामांतरण से स्वत्व एवं बंटन का निर्धारण नहीं होता है। 3. हरिहर नापित के तीनों पुत्री यथा अन्नपूर्णा देवी (मृत) 2. शांति देवी एवं 3. संध्या देवी तथा सीता राम नापित के दोनो पुत्र विशम्भर प्रमाणिक एवं लडडू प्रमाणिक के बीच बंटन केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.1986 के आधार पर बटवारा दर्शाया गया है। 4. विद्वान जिला जज ने टाईटिल अपील वाद सं0– 28/07 (युधिष्ठिर ठाकुर –बनाम– संध्या देवी) में दिनांक– 29.09.2007 को पारित आदेश में बंटन केवाला सं0– 3121/1986 दिनांक– 17.05.86 को मान्यता देते हुए दान पत्र डीड सं0– 261/92 को शून्य घोषित कर चुके है। 5. राजस्व न्यायालय में स्वत्व का निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत ~~Bivinist~~ (Revisionist) (आवेदक) के आवेदन को खारीज करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पारित आदेश दिनांक– 18.06.2016 को यथावत (Up-held) रखा जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजे। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। [signature] 24/8/23 उपायुक्त, साहेबगंज। [signature] 24/8/23 उपायुक्त, साहेबगंज।	

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 12:32:23 +05:30
Location: 192.168.29.209